प्रकरण संख्या 28/2023 नरेश व अन्य बनाम जेतराम के बजाय प्रभूलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष वगता जी थे। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 संयुक्त खातेदारी की आराजीयात वाद पत्र की कलम संख्या 2 अंकित परिशिष्ट ''क'', ''ख'', ''ग'' अनुसार होकर संयुक्त हिन्दु परिवार की मौरूसी सम्पत्ति है, जिसमें वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार होकर परिशिष्ट ''क'', ''ख'' की आराजियात में वादीगण का 1/54 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/54 हिस्सा है तथा इसी प्रकार परिशिष्ट ''ग'' की आराजी में वादीगण का 1/108 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/108 हिस्सा होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 8 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का पोता है अपने दादा जेतराम से गलत तरीके से सम्पूर्ण जायदाद का दान पत्र अपने नाम करवा लिया है, जो एबइनिशियोवोईड होकर वादीगण के मुकाबले प्रभाव शून्य है। अतः परिशिष्ट ''क'', ''ख'' की आराजियात में वादीगण का 1/54 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/54 हिस्सा है तथा परिशिष्ट ''ग'' की आराजी में वादीगण का 1/108 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/108 हिस्सा अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेखों में अंकन कराया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 8 को जरिये शाश्वत निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी के पक्ष में पंजीकृत दान पत्र है, जिसे सक्षम न्यायालय से बिना निरस्त कराये आप न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने [illegible] उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक [illegible] प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:15 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार करते वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.04.2023 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश टांक उपस्थित हुए एवं लिखित बहस प्रस्तुत की जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 15 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.सी. पानेरी एवं विरेन्द्र बापना उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नकल हेतु आवेदन दिनांक 01.02.2023 को प्रस्तुत किया, जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 13.02.2023 को प्राप्त हुई। नकल मिलने की अवधि में अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात मौरूसी होने से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 के पक्ष में किया गया दान पत्र अपीलान्टगण के मुकाबले शून्य प्रभावी है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र नियमों के विपरीत जाकर काल्पनिक आधारों स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:15 IST
Reason: SelfAttested

में न्यायिक नजीर RRT 2023 (1) Page 372 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 1 जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 अनुसार विवादित आराजियात वादीगण की मौरूसी भूमि हो प्रमाणित है तथा इस तथ्य से स्वयं प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 ने भी इंकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट/वादीगण की मौरूसी भूमि को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 के दादा प्रतिवादी संख्या 1 जेतराम को सिर्फ अपने हिस्से तक ही भूमि दान करने का अधिकार था, लेकिन उनके द्वारा अपने हिस्से की समस्त आराजियात का दान अपने पौत्र प्रतिवादी संख्या 8 विष्णु पिता प्रभूलाल के पक्ष में कर दिया गया है, जबकि जेतराम के प्रभूलाल के अलावा वादीगण के पिता रामलाल व तीन बहनें नर्बदा, रूकमा व अंशू भी मौजूद हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड दान पत्र को बिना सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराये वादीगण को वाद बार्ड बाई लॉ होने के आधार पर खारिज कर दिया है, जो अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीर अनुसार प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 271/2014 निर्णय एवं डिक्री 30.01.2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त कर तथा प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.09.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:48:15 IST
Reason: SelfAttested

(... प्रसिंह सांगावत)
... अधिकारी
एवं ... राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर